न्यायालय अनन्य विशेष न्यायाधीश (उत्पाद), झंझारपुर

अग्रिम जमानत संख्या–174/2026

(फुलपरास थाना कांड संख्या–289/2021; अन्तर्गत धाराः 30(ए) बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम)

बिहार सरकार बनाम अरूण कुमार जयसवाल उर्फ अरूण कुमार चौधरी

दिनांक	आदेश न्यायालय के हस्ताक्षर सहित	अभियुक्ति
26.03.2026	आवेदक अभियुक्त **अरूण कुमार जयसवाल उर्फ अरूण कुमार चौधरी,** उम्र–50 वर्ष, पिता–नारायण चौधरी, ग्राम–रघोपुर, थाना–रघोपुर, जिला–सुपैल की ओर से फुलपरास थाना कांड संख्या 289/2021 (अन्तर्गत धाराः 30(ए) बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम) मे गिरफ्तारी की आशंका के आधार पर दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन दिनांक 19.02.2026 उनके विद्वान अधिवक्ता श्री बेचन राय द्वारा प्रचालित किया गया जिसकी प्रति विद्वान विशेष लोक अभियोजक अरविंद प्रसाद वर्मा को पूर्व मे ही प्रदान की गयी है। उक्त जमानत आवेदन पर उभय पक्षो के विद्वान अधिवक्ता को सुना। आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता अग्रिम जमानत आवेदन संचालित करते हुए अभिकथित करते है कि आवेदक अभियुक्त निर्दोष है तथा किसी प्रकार का कोई अपराध नहीं किया है। आवेदक अभियुक्त के ओर से पूर्व मे न तो विशेष न्यायालय (उत्पाद) के समक्ष अथवा माननीय उच्च न्यायालय पटना के समक्ष कोई जमानत याचिका न तो लंबित है और न ही दाखिल किया गया है। याचिकाकर्ता बालिग है एवं उनका इस कांड के अलावे दस अन्य आपराधिक इतिहास (किशनपुर थाना कांड सं0–168/2021, निर्मली थाना कांड सं0–01/2022, राघोपुर थाना कांड सं0–159/2021, 35/2020, साहपुर कमला थाना कांड सं0–6/2022, देगमारा थाना कांड सं0–246/2020, गोरोल थाना कांड सं0–246/2021, गमहरिया थाना कांड सं0–120/2021, बिहरा/सहरसा थाना कांड सं0–173/2019, फुलपरास थाना कांड सं0–221/2021) है तथा सभी कांड बिहार मधनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम से संबंधित है। आवेदक को उनकी पुरानी दुश्मनी के कारण इस मुदकमा में झूठा फंसाया गया है। अभियोजन पक्ष का मामला पूरी तरह से झूठी एवं मनगढंनत है। आवेदक को घटनास्थल पर न तो मौके पर पहचान हुई है और न ही पकड़ा गया है सिर्फ संदेह के आधार पर आवेदक का नाम आया है। आवेदक के पास से किसी भी प्रकार की कोई बरामदगी नहीं हुई है। याचिकाकर्ता न्यायप्रिय व्यक्ति है एवं फरार होने तथा साक्ष्य के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ किये जाने की संभावन नही है। याचिकाकर्ता न्यायालय के सभी निर्देषो का अनुपालन करने को तैयार है तथा अच्छे से अच्छा जमानतदार देने को तैयार है। अतः आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता आवेदक अभियुक्त को अग्रिम जमानत का लाभ प्रदान करने किये जाने की प्रार्थना करते हैं। विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा जमानत का घोर विरोध किया गया तथा अभिकथित किया गया कि याचिकाकर्ता प्राथमिकी नामजद अभियुक्त है तथा इस कांड मे घटनास्थल से आइसर कंपनी का ट्रक निबंधन सं0–यूपी92टी0137 के साथ अजय कुमार एवं मंजित कुमार को विभिन्न ब्रांड के 2025 लीटर विदेशी शराब के साथ गिरफतार किया गया तथा उनके द्वारा ही बताया गया कि बरामद शराब आवेदक अरूण कुमार जयसवाल उर्फ अरूण कुमार चौधरी एवं अन्य का है जिसे वे लोग मंगवाकर बेचते है। याचिकाकर्ता का इस कांड के अलावे चार अन्य आपराधिक इतिहास है। बिहार मधनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम की धारा 76(2) के अधीन अग्रिम जमानत अवेदन का वर्जना किया गया है। अतः याचना करते है कि याचिकाकर्ता के ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन पोषनीय नहीं है। उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम की धारा 30 (ए) के अंतर्गत दर्ज किया गया है। बिहार मधनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम की धारा 76(2) के अधीन अग्रिम जमानत आवेदन का वर्जन किया गया है, परन्तु माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रामविनय यादव बनाम बिहार राज्य मे यह निर्धारित किया गया है कि बिहार मधनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम की धारा 76(2) अन्तर्गत अग्रिम जमानत आवेदन पोषणीय नही है, फिर भी यदि मामले मे अभियुक्त के विरूद्ध प्रथम दृष्टिया अपराध नही बनता है तब आवेदन पोषणीय माना जा सकता है। प्राथमिकी एवं कांड दैनिकी के अवलोकन से परिलक्षित होता है कि याचिकाकर्ता प्राथमिकी नामजद अभियुक्त है तथा रात्री गस्ती के क्रम में दिनांक 26.07.2021 को प्राप्त सूचना के आधार पर इस केस के सूचक एंव अन्य पुलिस	

Nayan Kumar

लगातार...

Spl. Order (Ex)
2396
one sheet

न्यायालय अनन्य विशेष न्यायाधीश (उत्पाद), झंझारपुर

अग्रिम जमानत संख्या–174/2026

(फुलपरास थाना कांड संख्या–289/2021; अन्तर्गत धारा: 30(ए) बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम)

बिहार सरकार बनाम अरूण कुमार जयसवाल उर्फ अरूण कुमार चौधरी

26.03.2026

बल रात्री समय करीब 02:30 बजे खोपा चौक स्थित इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप पर पहुंचे तो वहां आइसर कंपनी का ट्रक निबंधन सं0–यूपी92टी0137 खड़ा पाएं। ट्रक के केबिन से भागने का प्रयास कर रहे चालक अजय कुमार एवं उपचालक नीजित कुमार को पकड़ लिया गया तथा उक्त ट्रक के डाला से विभिन्न ब्रांड का 2025 लीटर विदेशी शराब बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त अजय कुमार द्वारा यह भी बताया गया की जप्त शराब आवेदक मनीष कुमार अग्रवाल एवं अन्य का है जिसे वे लोग मंगवाकर बेचते है। मूल कांड दैनिकी के कंडिका 47 के अवलोकन से परिलक्षित होता है कि घटनास्थल से जप्त पदार्थ शराब है। आवेदक के अग्रिम जमानत के कंडिका 03 एवं पूरक कांड दैनिकी की कंडिका 51 के अवलोकन से परिलक्षित होता है कि आवेदक का इस कांड के अलावे दस अन्य आपराधिक इतिहास (किशनपुर थाना कांड सं0–168/2021, निर्मली थाना कांड सं0–01/2022, राघोपुर थाना कांड सं0–159/2021, 35/2020, साहपुर कमला थाना कांड सं0–6/2022, देगमारा थाना कांड सं0–246/2020, गोरोल थाना कांड सं0–246/2021, गम्हरिया थाना कांड सं0–120/2021, बिहरा/सहरसा थाना कांड सं0–173/2019, फुलपरास थाना कांड सं0–221/2021) है तथा सभी कांड बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम से संबंधित है। मूल कांड दैनिकी के कंडिका 02, 03, 04, 05, 06, 09, 31 एवं 34 के अवलोकन से परिलक्षित होता है कि सभी साक्षियों द्वारा घटना का पूर्णरूपेण समर्थन किया गया है तथा इस तथ्य की पुष्टि की गयी है कि बरामद शराब याचिकाकर्ता का है तथा वे अन्य के साथ मिलकर शराब मंगवाने एवं बेचने का कारोबार करते है, जिससे प्रथम दृष्टिया याचिकाकर्ता के इस कांड तथा शराब के कारोबार मे संलिप्तता परिलक्षित होता है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों तथा वाद की परिस्थितियों, आपराध की प्रकृति एवं विशेषतया वाद के वर्तमान प्रक्रम एवं आवेदक के आपराधिक इतिहास तथा कांड मे की गयी भारी मात्रा मे बरामदगी, बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम की धारा 76(2) को ध्यान मे रखते हुए आवेदक **अरूण कुमार जयसवाल उर्फ अरूण कुमार चौधरी** की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन पोषणीय नही होने के कारण **खारिज** किया जाता है।

लेखापित

Nayankumar
26.03.26

(श्री नयन कुमार)
अनन्य विशेष न्यायाधीष, उत्पाद, झंझारपुर

उपस्थित:–श्री नयन कुमार
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–IV–सह–वि0 न्या0 उ0 अधि0, झंझारपुर